कर्टन रेज़र

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 21 से 23 अप्रैल, 2016 तक पटना, बिहार से संबंधित मामलों के लिए खुली सुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिनांक 21 से 23 अप्रैल, 2016 तक अनुसूचित जाति की शिकायतों एवं समस्याओं पर सुनवाई के लिए बिहार की राजधानी पटना में तीन दिवसीय 'खुली सुनवाई' एवं शिविर बैठक का आयोजन करेगा। दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को प्रातः 10 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री एच. एल दत्तू, सिंचाई भवन, सचिवालय, पटना में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

इसके पश्चात् प्रातः 11 बजे से खुली सुनवाई में राज्य सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन एवं श्री एस. सी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली आयोग की तीन पीठ याचिकाकर्त्ताओं के 67 मामलों में सुनवाई करेंगे। यह सभी मामले अनुसूचित जाति एवं समाज के अन्य शोषित वर्गों की शिकायतों से संबंधित है। 'खुली सुनवाई' के लिए शिकायत आमंत्रित करने के संबंध में बिहार के अखबारों में जन सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है।

दूसरे दिन अर्थात् 22 अप्रैल, 2016 को, अपनी शिविर बैठक में आयोग 21 लंबित मामलों पर सुनवाई करेगा। इसके अतिरिक्त उसी स्थल पर पूर्ण आयोग द्वारा 11 मामलों एवं खंड पीठ में 10 मामलों पर सुनवाई की जाएगी। इनके अलावा दरभंगा में कैंसर की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मुक्त किये गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, करंट लगने से मौत, पुलिस मुठभेड़ एवं स्वास्थ्य संबंधी मामले शामिल है।

समापन दिवस अर्थात् दिनांक 23 अप्रैल, 2016 प्रातः 10 से 11 बजे तक आयोग मानव अधिकार संबंधित मुद्दों पर राज्य में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।

इसके पश्चात्, 'खुली सुनवाई', 'शिविर बैठक' के साथ–साथ अन्य गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सामने आए मुद्दों पर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के पुलिस एवं कारागार अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मेलन कक्ष, सचिवालय, पटना में एक बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी।

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसे जन स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पड़े पद, अस्पतालों में घटिया किस्म की दवाईयों का वितरण, सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समस्याएँ, मनरेगा, लोक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी मजदूरों की मानदेय का अनियमित भुगतान, इंदिरा आवास योजना में अनियमिताएं, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, आयोग में अनुपालन रिपोर्ट सहित अन्य रिपोर्टो को प्रस्तुत करने में विलंब के साथ–साथ रिक्त पदों की भर्त्ती, बाल सुधार गृह की स्थिति, कारागार सुधार की स्थिति, बंधुआ मजदूर के रूप में "कामिया" प्रणाली घोषित करने में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम, छुड़ाए गए एवं मुक्त किये गए बंधुआ एवं बाल मजदूरों इत्यादि का पुनर्वास आदि। कुछ सामाजिक सद्भाव (फ्लैगशिप) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों की जांच के लिए आयोग ने अपनी एक टीम बिहार के पूर्वी चम्पारण, आरा, जमुई एवं कटिहार जिलों में भेजी थी।

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण खुली सुनवाई एवं शिविर बैठक के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उभर कर सामने आए परिणामों के बारे में मीडिया को संबोधित करेंगे। मीडिया हेतु प्रेस वार्ता अपराह्न 1 से 1.30 बजे तक सम्मेलन कक्ष, सचिवालय, पटना में रखी जाएगी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विभिन्न राज्यों में लंबित मामलों के निपटान हेतु, किसी राज्य विशेष के वरिष्ठ प्रशानिक अधिकारियों के साथ बैठक रख कर उन्हें मानव अधिकार मुद्दों के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के साथ–साथ आयोग की सिफारिशों के अनुपालन हेतु प्रेरित करता है तथा आम जनता को हो रही समस्याओं के संबंध में संवाद हेतु स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों के साथ बैठक का आयोजन इस तरह की शिविर बैठकों के दौरान करता रहा है।

अपनी स्थापना काल से ही आयोग अनुसूचित जाति के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन, अत्याचार एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति के खिलाफ शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेने के साथ–साथ आयोग इस मुद्दें पर मुख्य पणधारियों; पुस्तकों का प्रकाशन; प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी करता रहा है।

अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील होने के नाते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने श्री के. वी. सक्सेना, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को इस संबंध में एक अध्ययन करने एवं उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करने का निवेदन किया। तदनुसार श्री सक्सेना ने आयोग के अनुरोध पर अध्ययन कर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट www.nhrc.in पर उपलब्ध है। इन सुझावों में आयोग द्वारा वर्ष में

कम से कम एक जन सुनवाई का आयोजन शामिल था, जिसमें "सरकारी एजेन्सियों द्वारा यातनाओं से पीड़ित लोग न्याय हेतु अपना अनुभव एवं शिकायत प्रस्तुत कर सकें।

बिहार से पूर्व आयोग उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंड़ीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं संघ शासित क्षेत्र चंड़ीगढ़ के लिए) केरल, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में खुली सुनवाई का आयोजन कर चुका है।

आयोग ने अपनी शिविर बैठक का भी आयोजन उत्तर प्रदेश, बिहार, बेंगलुरू (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के चार दक्षिणी राज्यों के लिए) उड़ीसा, गुजरात, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, संघ क्षेत्र चंड़ीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़ के लिए) केरल, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में भी कर चुका है।

***